

प्रेषक,
निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,
सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पत्रांक: रा०शै०/निशिसं/17266/2014-15 दिनांक: 01 अक्टूबर, 2014

विषय— निजी संस्थानों को बी०टी०सी०/एन०टी०टी० प्रशिक्षण संचालित करने की अनुमति दिये जाने विषयक शासनादेश संख्या-85/15-11-2010 दिनांक 18/01/2010 के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपको पृष्ठांकित शासनादेश संख्या-1454/15-11-2014 दिनांक 30-09-2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो शासनादेश संख्या-85/15-11-2010 (छायाप्रति संलग्न) तथा शासनादेश के प्रस्तर 23 में उल्लिखित विवरणिका (छायाप्रति संलग्न) में संशोधन के संबंध में है।

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 30/09/2014 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त शासनादेश दिनांक 30/09/2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक—उक्तवत।

भवदीय

(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

प्रेषक,
एच0एल0गुप्ता,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर, 2014

विषय: निजी संस्थानों को बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 प्रशिक्षण संचालित करने की अनुमति दिये जाने विषयक शासनादेश संख्या 85/15-11-2010, दिनांक 18/01/2010 का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-रा0शै0/8200/2014-15 दिनांक-28/07/2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-85/15-11-2010, दिनांक-18-01-2010 के प्रस्तर (में उल्लिखित विवरणिका में निम्नवत् संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

कॉलम संख्या-एक शासनादेश दिनांक 18/01/2010 की विद्यमान व्यवस्था	कॉलम संख्या-दो संशोधित व्यवस्था
3(1) उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित वे निजी एवं स्ववित्तपोषी शैक्षिक संस्थान/संस्थाएँ संबद्धता आवेदन हेतु पात्र होंगी, जो उपयुक्त विधि के अधीन पंजीकृत अलाभकारी सोसाइटियों और न्यास द्वारा स्थापित तथा संचालित है और जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु सीट के आवंटन सहित मान्यता निर्गत की गयी हो। इन संस्थाओं के द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से निर्धारित शुल्क	3(1) उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित वे निजी एवं स्ववित्तपोषी शैक्षिक संस्थान/संस्थाएँ संबद्धता आवेदन हेतु पात्र होंगी, जो उपयुक्त विधि के अधीन पंजीकृत अलाभकारी सोसाइटियों और न्यास द्वारा स्थापित तथा संचालित है और जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु सीट के आवंटन सहित मान्यता निर्गत की गयी हो। इन संस्थाओं के द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद से निर्धारित शुल्क देकर

<p>देकर प्राप्त किया जा सकता है। जिसका प्रारूप राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० लखनऊ की वेबसाइट www.scertup.org पर भी डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेगा। इन संस्थाओं द्वारा प्रक्रिया शुल्क के रूप में शासन द्वारा निर्धारित राशि देय होगी।</p>	<p>प्राप्त किया जा सकता है। जिसका प्रारूप सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र० इलाहाबाद की वेबसाइट पर भी डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेगा। इन संस्थानों द्वारा प्रक्रिया शुल्क के रूप में शासन द्वारा निर्धारित राशि देय होगी।</p>
<p>3(2) निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा तत्काल एक विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जायेगा ताकि पात्र बी०टी०सी०/एन०टी०टी० पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए संबद्धता हेतु संस्थाओं द्वारा आवेदन किया जा सके। निर्धारित समय सीमा में निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा वेबसाइट www.scertup.org पर समुचित सूचनायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा इस वेबसाइट को समय-समय पर नियमित रूप से अद्यावधिक करना भी सुनिश्चित किया जायेगा।</p>	<p>3(2) सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा एक विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जायेगा ताकि पात्र बी०टी०सी०/एन०टी०टी० पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए संबद्धता हेतु संस्थाओं द्वारा आवेदन किया जा सके। निर्धारित समय सीमा में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा अपनी वेबसाइट पर समुचित सूचनायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा इस वेबसाइट को समय-समय पर नियमित रूप से अद्यावधिक करना भी सुनिश्चित किया जायेगा।</p>
<p>3(6) संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संस्था का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानको के अनुरूप हो और इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किसी शासकीय अभियंता द्वारा भवन के सम्बन्ध में उपयुक्तता का प्रमाण पत्र भी दिया गया हो। संस्थान द्वारा संस्थान परिसर में अग्निशमन उपायों को सुनिश्चित किया जायेगा तथा इस आशय के प्रमाण पत्र मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी से प्राप्त कर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० एवं निरीक्षणकर्ता</p>	<p>3(6) संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संस्था का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानको के अनुरूप हो और इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किसी शासकीय अभियंता द्वारा भवन के सम्बन्ध में उपयुक्तता का प्रमाण पत्र भी दिया गया हो। संस्थान द्वारा संस्थान परिसर में अग्निशमन उपायों को सुनिश्चित किया जायेगा तथा इस आशय के प्रमाण पत्र मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी से प्राप्त कर सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी,</p>

<p>अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे। भवन की उपयुक्तता तथा अग्निशमन उपायों की उपयुक्तता हेतु निर्धारित अंतराल पर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा पुष्टि करना भी सुनिश्चित किया जायेगा।</p>	<p>उ0प्र0 इलाहाबाद एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेगे। भवन की उपयुक्तता तथा अग्निशमन उपायों की उपयुक्तता हेतु निर्धारित अंतराल पर सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा पुष्टि करना भी सुनिश्चित किया जायेगा।</p>
<p>3(8) आवेदन पत्रों का संकलन निर्धारित तिथि तक मुख्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ में किया जायेगा।</p> <p>एवं</p> <p>3(23) में उल्लिखित विवरणिका का बिन्दु सं0 3(1) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अपने जनपद में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को अनिवार्यतः 10 सितम्बर तक मुख्यालय राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊको प्राप्त करायेगा।</p>	<p>3(8) एवं 3(23) में उल्लिखित विवरणिका का बिन्दु सं0 3(1) आवेदन पत्रों का संकलन विज्ञप्ति द्वारा निर्धारित तिथि तक सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद में किया जायेगा।</p>
<p>3(10) यह पैनल संस्था में उपलब्ध भौतिक व शैक्षिक संसाधनों का स्थलीय सत्यापन कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित मानदंडों एवं विनियमों के अनुपालन के सम्बन्ध में अपनी आख्या निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 को प्रस्तुत करेगा। निदेशक द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का एन0सी0टी0ई0 एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप परीक्षण करने के उपरान्त सुविचारित प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। जिन संस्थाओं में निरीक्षण के समय कोई कमी पाई गयी हो, उन संस्थाओ को कमी दूर किये जाने</p>	<p>3(10) यह पैनल संस्था में उपलब्ध भौतिक व शैक्षिक संसाधनों का स्थलीय सत्यापन कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित मानदंडों एवं विनियमों के अनुपालन के सम्बन्ध में अपनी आख्या सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रस्तुत करेगा। सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का एन0सी0टी0ई0 एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप परीक्षण करने के उपरान्त सुविचारित प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। जिन संस्थाओं में निरीक्षण के समय</p>

<p>हेतु निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा ई-मेल आदि से सूचना दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।</p>	<p>कोई कमी पाई गयी हो, उन संस्थाओं को कमी दूर किये जाने हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा ई-मेल आदि से सूचना दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।</p>
<p>3(11) संस्थाओं द्वारा प्रश्नगत कमियों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में करने के उपरान्त निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 को समुचित रूप से अवगत कराया जायेगा। निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करने के उपरान्त पात्र और अपात्र संस्थाओं की सूची राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध करायी जायेगी तथा अपात्रता का कारण भी समुचित रूप से स्पष्ट किया जायेगा।</p>	<p>3(11) संस्थाओं द्वारा प्रश्नगत कमियों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में करने के उपरान्त सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद को समुचित रूप से अवगत कराया जायेगा। सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करने के उपरान्त पात्र और अपात्र संस्थाओं की सूची राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध करायी जायेगी तथा अपात्रता का कारण भी समुचित रूप से स्पष्ट किया जायेगा।</p>
<p>3(23) में उल्लिखित विवरणिका का बिन्दु सं0 2 (i) पात्र और अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने को इच्छुक संस्थान द्वारा संबद्धता के लिये आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 लखनऊ से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रूपये 1000/- (एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट देकर प्राप्त किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट प्रशासनिक अधिकारी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के पक्ष में तथा लखनऊ में देय होगा। 2 (ii) निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाइट www.scertup.org</p>	<p>3(23) में उल्लिखित विवरणिका का बिन्दु सं0 2 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् सभी दृष्टियों से भरे हुए पूर्ण आवेदन पत्र तीन प्रतियों में समस्त संलग्नकों सहित पात्र और अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने को इच्छुक आवेदनकर्ता निजी संस्थान द्वारा विज्ञप्ति द्वारा निर्धारित तिथि तक संबंधित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे आवेदनकर्ता संस्थान द्वारा संबद्धता के लिये आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रूपये 1000/- (एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट तथा प्रक्रिया शुल्क हेतु रूपये</p>

<p>से भी डाउनलोड किया जा सकता है। परन्तु आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदन शुल्क प्रस्तर 2 क्रमांक (i) के अनुसार ही देय होगा।</p> <p>2 (iii) प्रक्रिया शुल्क हेतु रूपये 50000/- (पचास हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो प्रशासनिक अधिकारी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के नाम से देय होगा, को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।</p> <p>2 (iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात सभी दृष्टियों से भरे हुए पूर्ण आवेदन पत्र तीन प्रतियों में समस्त संलग्नकों सहित जिस शैक्षणिक सत्र के लिए संबद्धता मांगी जा रही है उससे पूर्व के शैक्षिक सत्र के 31 अगस्त तक संबंधित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।</p>	<p>50000/- (पचास हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद के नाम से देय होगा, को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त बैंक ड्राफ्ट सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद के पक्ष में तथा इलाहाबाद में देय होगा।</p>
<p>3(24) निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 एवं सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा संबद्धीकरण के सम्बन्ध में प्राप्त समस्त अभिलेखों एवं पत्राचार की स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।</p>	<p>3(24) सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा संबद्धीकरण के सम्बन्ध में प्राप्त समस्त अभिलेखों एवं पत्राचार को स्थायी अभिलेखों के रूप में सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।</p>

3- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 18/01/2010 के अन्य प्राविधान एवं शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

4- सत्र 2014-15 मात्र हेतु निजी बी0टी0सी0/एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम की सम्बद्धता विषयक कार्यवाही पूर्व की भॉति आफ लाइन के माध्यम से कराये जाने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय

(एच0एल0गुप्ता)

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
- 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-2 एल0आई0सी0 बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302005 राजस्थान।
- 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 4- समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अशोक कुमार सिंह)

उप सचिव।

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

श्री वी०के० दुबे
निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
उ०प्र० लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग (11)

दिनांक 18-01-2010

विषय- निजी संस्थाओं को बी०टी०सी०/एन०टी०टी० प्रशिक्षण संचालित करने के लिए अनुमति दिया जाना।

महोदय,

- 1- निजी संस्थाओं को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी०टी०सी० प्रशिक्षण संचालित करने के लिए अनुमति प्रदान करने के उपरान्त संबंधित संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा बी०टी०सी० प्रशिक्षण हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय में कतिपय रिट याचिकाये यथा सं० 39124/2005 दाऊ दयाल महिला कालेज, फिरोजाबाद बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 35780/2005 अभिनव सेवा संस्थान कालेज, कानपुर बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 30091/2005 मॉ खंडवारी महाविद्यालय, चन्दौली बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य एवं रिट याचिका सं० 21020/2005 हंडिया पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य योजित की गयी। उक्त रिट याचिकाओं को मा० उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03/05/2007 के द्वारा स्वीकार कर लिया है।
- 2- माननीय उच्च न्यायालय में याजित उक्त रिट याचिकाओं तथा अन्य सम्बद्ध रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03/05/2007 के विरुद्ध उ०प्र० शासन की ओर से स्पेशल अपील योजित की गयी, जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील सं० 1639 ऑफ 2007 उ०प्र० राज्य व अन्य बनाम दाऊ दयाल महिला पी०जी० कालेज एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध स्पेशल अपील को अपने आदेश दिनांक 31/07/2009 द्वारा निरस्त किये जाने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा निजी संस्थाओं

को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को बी०टी०सी०/एन०टी०टी० पाठ्यक्रम हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के लिए सैद्धान्तिक सहमति अपने आदेश दिनांक 25/11/2009 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

3- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना याचिका सं० 3081/07 में पारित आदेश दिनांक 17/12/2009 के समादर में राज्य सरकार द्वारा निम्नवत कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है-

1- उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित वे निजी एवं स्व-वित्तपोषी शैक्षिक संस्थान/संस्थाये संबद्धता आवेदन हेतु पात्र होंगी, जो उपयुक्त विधि के अधीन पंजीकृत अलाभकारी सोसायटियों और न्यास द्वारा स्थापित तथा संचालित हैं और जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी०टी०सी०/एन०टी०टी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सीट के आवंटन सहित मान्यता निर्गत की गई हो। इन संस्थानों के द्वारा प्रश्नगत पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। जिसका प्रारूप राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ की वेबसाइट www.scertup.org पर भी डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेगा। इन संस्थाओं द्वारा प्रक्रिया शुल्क के रूप में शासन द्वारा निर्धारित राशि देय होगी।

2- निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा तत्काल एक विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जायेगा ताकि मात्र निजी बी०टी०सी०/एन०टी०टी० पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सम्बद्धता हेतु संस्थाओं द्वारा आवेदन किया जा सके। निर्धारित समय सीमा में निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा तत्काल www.scertup.org वेबसाइट पर समुचित सूचनायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा इस वेबसाइट को समय-समय पर नियमित रूप से अद्यावधिक करना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3- संस्था को अध्यापक शिक्षा में बी०टी०सी०/एन०टी०टी० पाठ्यक्रम संचालन के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों से संबंधित सभी निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। इन मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ भूमि, भवन वित्तीय संसाधनों, आवास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अन्य भौतिक आधारिक सुविधाओं,

शिक्षण और गैर-शिक्षण कार्मिको सहित अर्हता प्राप्त स्टाफ आदि से संबंधित मानक भी शामिल होंगे।

- 4- प्रत्येक शिक्षण कक्ष की माप कम से कम 500 वर्ग फुट होगी, पुस्तकालय एवं वाचनालय की माप कम से कम 1000 वर्ग फुट होगी, कम्प्यूटर सेटो (प्रिंटर एवं आधुनिक टेक्नोलाजी सहित) की संख्या कम से कम 10 होना वांछित होगी। खेल के मैदान हेतु न्यूनतम 200 वर्ग मीटर आयताकार स्थल वांछनीय होगी।
- 5- संस्थान के शिक्षण कक्षों में 100 छात्र/छात्राओं हेतु पुस्तकालय में 50 छात्र/छात्राओं हेतु एवं 50 स्टाफ तथा कर्मचारियों हेतु उतनी ही संख्या में उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था वांछित होगी।
- 6- संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संस्था का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानको के अनुरूप हो और इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किसी शासकीय अभियंता द्वारा भवन के संबंध में उपयुक्तता का प्रमाण पत्र भी दिया गया हो। संस्थान द्वारा संस्थान परिसर में अग्निशमन उपायों को सुनिश्चित किया जाएगा एवं स्टाफ को अग्निशमन उपायों के प्रयोग हेतु दक्ष कराया जाएगा तथा इस आशय के प्रमाण पत्र मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी से प्राप्त कर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी तक उपलब्ध कराये जायेंगे। भवन की उपयुक्तता तथा अग्निशमन उपायों की उपयुक्तता हेतु निर्धारित अंतराल पर निदेशक एससीईटीरटी द्वारा समुचित रूप से पुष्टि करना भी सुनिश्चित किया जाएगा।
- 7- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात सभी दृष्टियों से भरे हुए पूर्ण आवेदन पत्र तीन प्रतियों में समस्त संलग्नकों सहित जिस शैक्षणिक सत्र के लिए सम्बद्धता मांगी जा रही है उससे पूर्व के शैक्षिक सत्र की निर्धारित तिथि तक सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। यह प्रतिबन्ध वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में निर्णीत प्रकरणों के संदर्भ में लागू नहीं होगा।

- 8- आवेदन पत्रों का संकलन निर्धारित तिथि तक मुख्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० लखनऊ में किया जायेगा।
- 9- प्राप्त आवेदन पत्रों का भली भाँति परीक्षण करने के पश्चात पात्र एवं अर्ह संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण तथा वीडियोग्राफी 04 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति द्वारा गठित नामित पैनल से कराया जायेगा। राज्य स्तरीय समिति निम्नवत होगी-
- | | |
|---|-------------|
| 1- प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा द्वारा नामित अधिकारी | - अध्यक्ष |
| 2- निदेशक, बेसिक शिक्षा | - सदस्य |
| 3- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद | -सदस्य |
| 4- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी | -सदस्य सचिव |
- 10- यह पैनल, संस्था में उपलब्ध भौतिक एवं शैक्षिक संसाधनों का स्थलीय सत्यापन कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित मानदंडों एवं विनियमों के अनुपालन के संबंध में अपनी आख्या निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० को प्रस्तुत करेगा। निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का एन०सी०टी०ई० एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप परीक्षण करने के उपरान्त सुविचारित प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। जिन संस्थाओं में निरीक्षण के समय कोई कमी पायी गई हो, उन संस्थाओं को कमी दूर किए जाने हेतु निदेशक एससीईआरटी द्वारा ईमेल आदि से सूचना देने की कार्यवाही की जाएगी।
- 11- संस्थाओं द्वारा प्रश्नगत कमियों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में करने के उपरांत निदेशक एससीईआरटी को समुचित रूप से अवगत कराया जाएगा। निदेशक एससीईआरटी द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करने के उपरांत पात्र और अपात्र संस्थाओं की सूची राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध कराई जाएगी तथा अपात्रता का कारण भी समुचित रूप से स्पष्ट किया जाएगा।
- 12- राज्य स्तरीय समिति द्वारा समस्त आवेदक संस्थाओं को बी०टी०सी०/एन०टी०टी० प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अपना अभिमत शासन को निर्धारित तिथि तक प्रेषित करेगी।
- 13- शासन, राज्य स्तरीय समिति का अभिमत प्राप्त होने पर, सम्बद्धता हेतु निर्णय लेगा।

- 14- शासन से निर्णय प्राप्त होने के पश्चात् सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र० इलाहाबाद द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में यथा स्थिति आदेश निर्गत किया जायेगा।
- 15- जिस संस्था को निर्धारित मानक/शर्तें पूर्ण न करने के कारण सम्बद्धता प्रदान करने हेतु शासन द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया होगा, उसकी मान्यता प्रत्याहरण हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को राज्य स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति कर दी जायेगी।
- 16- आवेदन पत्र में कोई गलत जानकारी देने या ऐसे तथ्यों को छिपाने जिनका निर्णय लेने की प्रक्रिया अथवा सम्बद्धता प्रदान करने से सम्बन्धित निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता है, उसके फलस्वरूप प्रबंधक वर्ग के खिलाफ अन्य कानूनी कार्यवाही के अलावा संस्थान की सम्बद्धता शासन द्वारा प्रत्याहरित की जा सकती है। सम्बद्धता प्रत्याहरित किये जाने सम्बन्धी आदेश, संस्थान को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से समुचित अवसर देने के पश्चात ही पारित किया जायेगा।
- 17- संस्थान को तत्काल अपनी वेबसाइट को क्रियाशील करना होगा। इस वेबसाइट में अन्य बातों के साथ-साथ संस्थान, बी०टी०सी०/एन०टी०टी० पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश किए जाने वाले छात्रों की संख्या (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत), भूमि, भवन, कार्यालय, क्लासरूमों जैसी भौतिक सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं अथवा साधनों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि जैसी अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा उनके प्रस्तावित शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ आदि के फोटोग्राफस सहित ब्यौरे, अध्यापक प्रशिक्षकों की पैर संख्या दर्ज रहेगी।
- 18- संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले समस्त शुल्क का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नोटिफिकेशन दिनांक 18 जून 2002 के अनुक्रम में शासन द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
- 19- मान्यता हेतु आवेदन करने से संबंधित प्राप्त आवेदन शुल्क तथा संस्थाओं से प्राप्त प्रक्रिया शुल्क को निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ द्वारा पृथक खाता खोलकर उसमें जमा किया जाएगा। इस धनराशि का उपयोग शासन द्वारा निर्धारित मदों में किया जा सकेगा।

- 20- संस्था में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस हेतु संस्था के लिए निर्धारित संख्या ही होगी।
- 21- संस्था में प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश राज्य सरकार द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।
- 22- संस्था का पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम होगा।
- 23- प्रदेश के निजी संस्थाओं को दो वर्षीय बी०टी०सी० एवं एन०टी०टी० प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संचालन हेतु संबद्धता की विवरणिकाएं क्रमशः संलग्नक-1 एवं संलग्नक-2 के अनुरूप होंगी। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश संस्थाओं पर बाध्यकारी होंगे।
- 24- निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० एवं सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा सम्बद्धीकरण के सम्बन्ध में प्राप्त समस्त अभिलेखों एवं पत्राचार को स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
निदेशक एस०सी०ई०आर०टी० द्वारा इस आदेश की प्रतियां समस्त सम्बन्धित को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

**(अनूप चंद्र पाण्डेय)
प्रमुख सचिव**

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान, उ०प्र०।
3. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिविर कार्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक बेसिक, उ०प्र० लखनऊ।
5. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ०प्र० लखनऊ।
6. निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
7. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र० इलाहाबाद।
8. समस्त प्राचार्य डायट।
9. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।

आज्ञा से

**(अतुल कुमार)
विशेष सचिव**